

मुस्लिम महिलाओं के मसائل



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

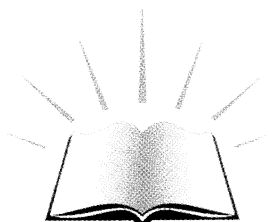
هاتف: ٤٢٣٤٤٦٦ ٠١٦. فاكس: ٤٢٣٤٤٧٧ ٠١٦

229

تعاوني الزلفي

كتاب المرأة المسلمة - اللغة الهندية

मुस्लिम महिलाओं के मसाइल



المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد
وأنوعية الجاليات بالزلفي

كتاب المرأة المسلمة - اللغة الهندية

إعداد وترجمة : المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الأولى : ١٤٣٩ / ٦

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي ، ١٤٣٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

كتاب المرأة المسلمة - الهندية . / المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد

وتوعية الجاليات بالزلفي . - الزلفي ، ١٤٣٩ هـ

٢٨ ص .. سم

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠١٣-٩٧-٧

١- المرأة في الإسلام أ.العنوان

١٤٣٩ / ٥٥٤٢

ديوي ٢١٩،١

رقم الإيداع: ١٤٣٩ / ٥٥٤٥

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٠١٣-٩٧-٧

इस्लाम में औरतों का मक़ाम और मर्तबा

इस्लाम में औरतों के हकों की बात करने से पहले अच्छा होगा कि हम पहले दुसरे धर्मों की औरतों के बारे में दृष्टिकोण को जान लें कि उनके नजदीक औरतों की क्या इज्जत है

यूनान में औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई हक हासिल नहीं था, सभी हक मर्दों के पास थे, उन्हें केवल प्रयोग की वस्तु समझा जाता था। उन्हें पैतृक सम्पत्ति में भी हक प्राप्त नहीं था। यूनान के मशहूर फिलोस्फ़ सुकरात कहता है कि दुनिया की बुराइयों का सबसे बड़ा कारण औरतें हैं। वह आगे कहता है कि औरतें उस जहरीले पेड़ के समान हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है लेकिन जैसे ही पक्षी उसे खाता है वह फौरन ही मर जाता है।

रोम का मानना है कि औरतों में आत्मा होती ही नहीं है वहां औरतों को न तो कोई पद प्राप्त है और न ही कोई हक। वह सोचते थे कि औरतों में रूह नहीं होती इस लिए वह औरतों पर उबलता हुआ तेल डाल देते थे और उन्हें दीवारों में चुनवा देते थे।

यहाँ तक की वह मासूम औरतों को घोड़ों की पूंछ के पीछे बांध देते थे और घोड़ों को बहुत तेज दौड़ाते थे जिस के कारण औरतों की मौत हो जाया करती थी।

औरतों के प्रति हिन्दुस्तानियों का भी यही दृष्टिकोण था बल्कि औरतों पर अत्याचार करने में वह और एक कदम आगे थे। वह पति के मरने के बाद औरतों को जिन्दा पति की चिता के साथ ही जला दिया करते थे। चीनियों ने औरतों को उस बाढ़ के समान माना है जो खुशियों और दौलत को बहाकर ले जाती है। और एक चीनी मर्द को यह हक था कि वह अपनी बीवी को बेच दे या उसे जिन्दा दफन कर दे यहूदी. औरतों को लानत समझते थे उनका मानना था कि औरत ने ही आदम अलैहिस्सलाम को पेड़ का फल खाने के लिए मजबूर किया था। इसी तरह औरत जब माहवारी हैज़ से होती है तो उसे नापाक माना जाता है जिस के कारण उसका घर और उसके जरिया छुआ हुआ हर सामान नापाक हो जाता है। वह कहते हैं कि यदि औरत का भाई हो तो वह मां बाप की सम्पत्ति का हकदार नहीं होती है।

नसारा औरतों को शैतान मानते थे। एक नसारा का कहना था कि औरतों में इंसानी जिन्स नहीं है। बोनावन्तुर. पादरी का कहना था कि जब तुम औरत को देखो तो ये मत सोचो कि तुम इंसान को देख रहे हो या किसी खूंखार जानवर को देख रहे हो वह शैतान है और उसकी जिन बातों को तुम सुन रहे हो वह साँपों की फुंकार है।

अंग्रेजी कानून के अनुसार पिछली सदी तक औरतों को देश का नागरिक नहीं माना जाता था। उन्हें न तो कोई इंसानी हक हासिल था और न ही वह किसी चीज की

मालिक हो सकती थी यहां तक कि जो कपड़े वह पहनती थी वह उन की भी मालिक नहीं थी।

स्कॉटलैंड की संसद ने सन 1567 में ये कानून पास किया कि औरतों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह आठवीं शताब्दी में अंग्रेजी संसद ने कहा कि औरतों के लिए इंजील पढ़ना हराम है क्योंकि वह नापाक होती हैं और 586 में फ्रांस के लोगो ने एक कॉन्फ्रंस बुलाई जिस का विषय था क्या औरतें इंसान हैं या इंसान नहीं हैं? इस कॉन्फ्रंस के अंत में उन्होंने पाया कि औरतें इंसान होती हैं। उसे मर्द की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। सन 1805 तक इंग्लिश कानून में था कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है और उस समय औरतों की कीमत केवल 6 पौंड थी।

इस्लाम से पहले अरब देश में भी औरत की कोई इज्जत नहीं थी। उसे न तो सम्पत्ति में कोई हिस्सा मिलता था और न ही उसे ध्यान देने योग्य समझा जाता था। और न ही उसे किसी प्रकार का कोई हक ही प्राप्त था बल्कि कुछ अरब लोग तो अपनी बेटियों को जिन्दा ही दफन कर दिया करते थे।

इस के बाद इस्लाम आया ताकि औरत पर हो रहे अत्याचारों को खत्म कर सके और दुनिया को यह बता सके कि मर्द और औरतें बराबर हैं। इसे भी कुछ हक प्राप्त हैं जिस तरह से मर्द को प्राप्त हैं। अल्लाह ताआला फरमाता है:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿[الحجرات: १३]

यानी, “ऐ लोगो हम ने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और इस लिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंभे और कबीले बना दिये हैं। अल्लाह के नजदीक तुम सब में से बाइज्जत वो है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह जानने वाला और बाख़बर है। (सुरह अल हुजरात 13)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿[النساء: १२४]

एक दूसरी जगह फरमाया: यानी, “जो ईमान वाला हो मर्द हो या औरत और वो नेक आमांल करे यकीनन वह जन्नत में जाएंगे और खजूर की गुठली के बराबर भी उन पर अत्याचार न होगा। (सुरह निसा 124)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا [العنكبوت: ८]

यानी, “हम ने इंसान को अपने मां बाप के साथ अच्छा सूलूक करने की वसीयत की है। (सुरह अल अनकबुत 8)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

अच्छा मोमिन वह है जिस के अख़लाक़ अच्छे हों और तुम में से सबसे बेहतर वो है जिन के अख़लाक़ औरतों के प्रति सबसे अच्छे हों। एक व्यक्ति ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा: लोगों में मेरे हुस्न सुलूक का सबसे ज़्यादा हक़दार कौन है? आप ने फरमाया तेरी मां। उस व्यक्ति ने फिर पूछा फिर कौन? आप ने फरमाया: तेरी मां। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप ने फरमाया: तेरी मां। उसके बाद उस व्यक्ति ने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप ने फरमाया: तुम्हारे पिता। संक्षेप में इस्लाम का औरतों के प्रति यही दृष्टिकोण है।

औरतों के सामाजिक हक़

इस्लाम में औरतों को कुछ सामाजिक हक़ भी दिये गए हैं यह जरूरी है कि आप उसे जानें और उनको मानें। ताकि एक औरत जब चाहे आप उसे वह हक़ दें। वह हक़ निम्नलिखित हैं:

1. मालिकाना हक़: औरतों को घर, सामानों, फैक्टरियों, बागीचों, सोना . चाँदी और विभिन्न प्रकार के जानवरों आदि जिस की चाहें मालिक बन सकती हैं। चाहे घर में उसका दरजा बीवी का हो, मां का हो, बेटी का हो या बहन का।
2. शादी, पति का चुनाव, खुला करने और नुकसान की सूरत में उसे तलाक़ का हक़ हासिल है।
3. हर उन चीज़ों के बारे में इल्म हासिल करने का हक़ है जो औरतों के लिए आवश्यक है जैसे अल्लाह को पहचानने का इल्म, इबादत, को अदा करने का तरीका

सीखना, अपने अधिकारों को तथा अपने फर्ज की आवश्यक जानकारी हासिल करना। जिन अच्छे अखलाक को अपनाना जरूरी है उनकी जानकारी हासिल करना, क्यों कि अल्लाह का फरमान आम है जिसमें बताया गया है कि: यानी, "इस बात को जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है: "इल्म का सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है।

4. वे औरत जितना चाहे अपने माल का सदका कर सकती है। और जितना चाहे अपने नफस पर, औलाद पर, शौहर पर, वालिदैन पर खर्च कर सकती है। लेकिन यह सभी खर्च फूजूल खर्च के दायरे में होने चाहिए। इस सिलसिले में औरत का मामला मर्द जैसा ही है।

5. इसे पसंद या ना पसंद करने का हक हासिल है। वह नेक औरतों से मोहब्बत रख सकती है और अगर उसका शौहर है तो उसकी इजाज़त से उन से मिलने जा सकती है और तोहफा दे सकती है। उन को खत लिख सकती है, उनका हालचाल पूछ सकती है, मुसीबत में उनकी मदद कर सकती है। इसी तरह वह बुरी और खराब चीजों से नफरत करें और अल्लाह की खातिर उन्हें छोड़ दें।

6. अपनी जिन्दगी में ही उसे अपने एक तिहाई माल की वसीयत का हक भी हासिल है कि उसके मरने के बाद वह हिस्सा उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा और उस पर किसी को कोई एतराज का हक नहीं होगा। यह इस वजह से कि वसीयत करना एक व्यक्तिगत हक है जिस तरह से

यह हक मर्दों को मिला है उसी प्रकार से औरतों को भी प्राप्त है क्यों कि अल्लाह के सवाब से कोई भी बेजार नहीं हैं। बर्षते की वसीयत एक तिहाई माल से ज़्यादा की न हो। यह हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए हैं।

7. लिबास का हक: रेशम या सोना औरत जो चाहे वह पहन सकती है जब की मर्दों के लिये इन दोनों का इस्तेमाल करना हराम है। औरत के लिए रेशमी कपड़े तथा सोना आदि पहनने की शर्त ये है कि वह अपनी जीनत को दूसरों के सामने जाहिर न करें। जैसे की आधे या एक चौथाई कपड़े पहनना या अपने सिर से कपड़ा हटा देना या सीने को खोल देना। ये सब ऐसे व्यक्ति के सामने करें जिस के सामने ऐसा करना जायज हो।

8. औरतों को अपने शौहर के लिए सिंगार करने का हक है। इसके लिए वह सुर्मे का इस्तेमाल कर सकती है अपने गालों तथा होंठों पर सुर्खी लगा सकती है बेहतर से बेहतर जेवर पहन सकती है। परन्तु उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिये, जो गैरमुस्लिम औरतें या गलत काम करने वाली औरतों की पहचान हो, उन्हें उससे बचना चाहिए।

9. औरतों को अपनी पसंद का खाना खाने और पीने का हक है। इस मामले में मर्द और औरत दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो चीज़ जायज है वो दोने के लिए है, और जो चीज़ें हराम है उस में भी दोनों बराबर हैं। अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है: यानी, "खूब खाओ और खूब पीओ और हद से न निकलो। यह अमल दोनों जिनसों के लिए है।

शौहर पर औरत के हक

औरत के खास हकों में से उसके कुछ हक शौहर पर हैं। ये हक जो शौहर पर वाजिब है बिल्कुल वैसे ही औरत पर भी हैं। जैसे की औरत को चाहिए की अल्लह और उसके रसूल की नाफरमानी न करने के अलावा वह अपने शौहर की फरमाबर्दारी करे, उसके लिए खाना तैयार करे, उसका बिस्तर ठीक करे उसके बच्चों को दूध पिलाए, उनकी तरबीयत करे, उसके माल और इज्जत की निगरानी करे, अपने नफस की हिफाजत करे, और उसके लिए सिंगार करे

यहाँ उन अधिकारों की बात की जा रही है, जो शौहर पर वाजिब है, क्यों कि अल्लाह तआला ने फरमाया है: यानी, "और औरतों के भी वैसे ही हक हैं जैसे उन पर मर्दों के हैं अच्छाइयों के साथ। हम इन अधिकारों को इस लिए बता रहे हैं ताकि एक मोमिन औरत बिना शर्म व हया और डर व खौफ के उनका मुतालबा करे और शौहर पर वाजिब है कि अपनी बीवी के अधिकारों को मानें, फिर चाहे बीवी कुछ अधिकारों को माफ कर दें। इस तरह एक बीवी को जो हक हासिल है उन में से कुछ इस तरह है।

1. शौहर अपनी हैसियत के अनुसार बीवी पर खर्च करेगा। इसमें कपड़े, खाना पीना, दवा और घर शामिल है।
2. बीवी की इज्जत, जिस्म जान, माल और दीन की हिफाजत करेगा। क्यों कि मर्द उसका निगेहबान है और किसी भी चीज की निगेहबानी में उस चीज की हिफाजत और देख भाल भी शामिल होती है।

3. उसे जरूरी दीनी मसाईल सिखाएं और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता हो तो उसे दीनी मसाईल सीखने के लिए दीनी और इल्मी मजलिसों में शामिल होने की इजाज़त दे।

4. उस के साथ अच्छा माशरती मआमला करे अल्लाह तआला ने फरमाया है: यानी, उन के साथ अच्छा माशरती मआमला करो "अच्छे मआशरती में ये भी है कि जिमा (संभोग) के दृष्टिकोण से उसके हक को दबाया न जाए, गाली गलौज और बेइज़्ज़त कर के उस पर अत्याचार न किया जाए और हुस्ने मआशरती में ये भी शामिल है कि अगर फितना का अन्देशा न हो तो उसे रिश्तेदार के यहां जाने दें। उसे ऐसे काम न दिये जाएं जो उसकी ताकत के बाहर हो उससे अच्छी तरह बातचीत की जाए और बेहतर तरीके से पेश आया जाए। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है "तुम में से सबसे बेहतर व्यक्ति वह है जो अपने बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतर हो।

पर्दा

इस्लाम ने समाज को बुराइयों से बचाने का हर मुमकिन इंतेजाम किया है और अच्छे अखलाक और बेहतर आदाब के जरिया उसकी हिफाजत का इंतेजाम किया है ताकि लोगों का दिल बुराइ से पाक साफ रह सके। इस में शहवत और खवाहिशत को न भटकाया जाए। इस्लाम ने शहवत को भटकाने वाली चीजों पर पाबंदी लगाई है जो फितने का कारण बनती है। इस लिए मर्द और औरतों को निगाह नीची रखने का हुक्म दिया गया है।

इसी तरह अल्लाह तआला ने औरत की बेइज्जती से बचाव, तथा कमजोर दिल के लोगों को फिलने से उसे बचाने और शरारती लोगों से दूर रखने के लिए, बेपर्दगी से, बुरी नजरों से तथा औरतों की अहमियत और इज्जत बाकी रखने के लिए पर्दे को वाजिब करार दिया है।

इस्लाम के आलिम लोग औरतों के पर्दे की आवश्यकता पर एकमत हैं। औरतों पर वाजिब है कि वह गैर मर्द से अपने जेब और जीनत को छुपा कर रखें उन पर जाहिर न होने दें। उलामाए कराम का चेहरे और दोनों हाथों के परदे पर दो नजरिया है। पर्दा और उस की आवश्यकता पर कई सारी हदीसें मौजूद हैं। इन हदीसों की रोशनी में ही पर्दे को वाजिब करार दिया गया है। पर्दा करने की कुछ दलीलें इस प्रकार हैं: अल्लाह तआला ने इर्शाद फरमाया:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: ५३]

यानी, “यदि जब तुम नबी की बीवियों से कोई सामान मागा करो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, तुम्हारे और उन के लिए यही कामिल पाकीजगी है॥ (सुरतुल अहजाब 53)

दूसरी जगह इर्शाद फरमाया:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيسِهِنَّ ذَلِكُمْ أَذْنَى أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: ५९]

यानी, “ऐ नबी! अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमाना की औरतों से कह दो कि वो अपने उपर अपनी चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्दी उनकी पहचान हो जाया करेगी फिर न परेशान की जाएंगी और अल्लाह तआला माफ करने वाला मेहरबान है। (सुरतुल अहजाब 59)

आगे फरमाया:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿النور: ٣١﴾

यानी, “मुसलमान औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी अस्मत में फर्क न आने दें और अपनी जीनत को जाहिर न करें सिवाय उसके जो जाहिर है और अपनी गिरेबानों पर अपनी औढ़नी डालें और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर न करें, सिवाय अपने शौहर के। (सुरह अलनूर 31)

आयशा रजियल्लाहु अन्हाबयान करती हैं कि

كُنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمِرْوَطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ
الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغُلَسِ

मुसलमान औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फजर की नमाज पढने के लिए चादरों में लिपट कर आती थी फिर नमाज के बाद अपने घरों को वापस जाती थीं तो सुबह के अंधेरे की वजह से कोई उनको पहचान नहीं पाता था (बुखारी 578 मुस्लिम 645)

आयशा रजियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا
حَازُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में थे और सवार हमारे सामने से गुजर रहे थे, जब वे हमारे करीब आते तो, हम अपने सिर की चादर सरका कर अपने चेहरे पर लटका लेते और जब वो गुजर जाते तो हम हटा देते थे

आयशा रजियल्लाहु अन्हा ही बयान करती हैं कि “अल्लाह तआला मुहाजिरों की औरतों पर रहम और करम का मामला करें। अल्लाह ने जब उन पर आयते हिजाब नाज़िल की तो उन्होंने अपनी औढ़नियों को दो हिस्सों में बांट लिया और उससे अपने चेहरे को ढक लिया (सही बुखारी)

इस के इलावा भी बहुत सी दलीलें हैं। चाहे पर्दे के बारे में एक मत न हो फिर भी उलामा का इस बात पर एक मत है कि जरूरत की बुनियाद पर औरत का चेहरे को खोलना जायज़ है जैसे बीमारी की हालत में डॉक्टर के पास और उसी तरह से सभी उलामा का इस बात पर भी एक मत है कि फितने का डर हो तो चेहरे का खोलना जायज़ नहीं है। जो लोग चेहरे खोलने को जायज़ करार देते हैं, उनका भी मानना है कि अगर फितने का डर हो तो ऐसी सूरत में चेहरे का ढकना वाजिब है। आज जब कि हर तरफ फितना है, इस का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अकसर औरतें जो अपना चेहरा खोल लेती हैं, अपने चेहरे और आँखों पर सिंगार किया करती हैं, जिस के हराम होने (हुर्मत) पर सभी उलमा एक मत हैं।

इस्लाम ने औरतों पर अजनबी मर्दों से इख़लात को हराम किया है। यह सभी बातें अख़्लाक़, खानदान और शराफ़त की हिफाजत के लिये हैं, इस्लाम बेपर्दा को फितने और शहवत को भड़काने वाली चीज़ मानता है। औरत जब घर से निकलेगी दुसरे मर्दों से बात करेगी और बेपर्दा होगी तो ऐसी सूरत में बदनामी होगी और गुनाह करना आसान होगा और औरत पर दस्तदराजी आसान हो जाएगी। अल्लाह तआला इश्आद फरमाता हैं:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ [الأحزاب: २३]

यानी, तुम औरतें अपने घरों में रहो और जमाने जाहिलियत कि औरतों कि तरह बनाव सिंगार कर के ना निकलो (सुरह अहजाब 33)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखती से मर्दों और औरतों को इख्तलात से रोका है और उन सभी असबाब से मना फरमाया है जो इख्तलात की वजह बनते हैं, चाहे वो इबादत और उससे जुड़ी हुई जगह ही क्यों न हो

कभी कभी औरत को ऐसी जगहों में जाने की जरूरत पड़ जाती है, जहां मर्द होते हैं, जैसे ऐसा कोई जरूरी काम पूरा करना हो और घर में दूसरा कोई न हो जो इस काम को कर सके, या कुछ खरीदारी का काम हो जिससे वो खुद अपने या अपने से जुड़े लोगों के लिए कामकाज का इंतजाम कर सके या उस के अलावा दुसरी जरूरतें हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं है।

लेकिन शर्त ये है कि वह शरीअत की पाबंदी करे यानी बापर्दा निकले, अपनी आराइश को जाहिर ना करे, मर्दों से दूर रहे और उन के साथ इख्तलात न करे।

इस्लाम ने समाज की हिफाजत के लिए जो हुक्म दिये हैं उन में एक हुक्म ये है कि अजनबी औरतों के साथ तन्हाई में मिलने को हराम कहा गया है।

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से अजनबी औरतों के साथ तन्हाई इख्तियार करने से रोका है। जब कि उन के साथ उन का शौहर या

दूसरा कोई महरम न हो क्यों कि शैतान नफस को भटकाने के फिराक में रहता है।

हैज (माहवारी) और नफास के अहकाम (आदेश)

हैज का वक्त और अवधि (मुद्दत)

1. अकसर 12 से पचास साल की आयु तक की औरत को हैज आता है और कभी औरत अपने हालात या माहौल और वातावरण के कारण इस से पहले या बाद में भी हैज से होती है।
2. हैज की अवधि कम से कम एक दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है।
3. हामला (गर्भवती) का हैज: औरत जब हामला होती है तो अकसर हैज का खून नहीं आता है। लेकिन हामला औरत को बच्चे की पैदाइश से दो तीन दिनों पहले खून आये और उस के साथ दर्द भी हो तो यह नफास का खून होगा और अगर ये खून बच्चे की पैदाइश से दो . तीन दिनों पहले बिना दर्द के आये तो यह खून न तो नफास का होगा और न ही हैज का।
4. हैज में पेश आने वाली हालतें या परेशानी, हैज की हालत में पेश आने वाले मामले कुछ इस तरह हैं:

पहली हालत: कमी व बेशी. वैसे तो औरत को हैज छह दिन होता है या सात दिन होता है। परन्तु वह छह दिन बाद पाक होती है।

दूसरी हालत: जल्दी या देर से औरतों की माहवारी या तो महीने के आखिर में होती है। या महीने के शुरू में। औरत जब भी खून देखेगी जो हैज के खून के समान है तो वह हैज़ह हाएज़ा है और जब वह खून खत्म हो जाए तो वह पाक हो जाएगी, चाहे उसे यह अपनी आदत से ज़्यादा या कम आये और चाहे पहले आये या बाद में आये।

तीसरी हालत: खून का जर्द या मटमैले रंग का होना अगर खून जख्मों के पानी के रंग का हो या वो जर्द और काले के समान मटमैला हो और यह माहवारी के दौरान आये या उसके बाद पाकी से पहले आये तो वह हैज माना जाएगा और अगर पाकी के बाद आये तो हैज नहीं माना जाएगा

चौथी हालत: हैज में रुकावट। औरत हैज में रुकावट देखे जैसे कि एक दिन खून दिखे और दूसरे दिन न दिखे आदि (वगैरह) इस की भी दो हालतें हैं।

पहली हालत: अगर यह सूरते हाल हमेशा ऐसी ही रहे तो वो हैज का खून होगा और उस पर हैज़ का हुक्म साबित होगा

दूसरी हालत: इस हालत में औरत को बराबर खून न आये। बल्कि कभी कभी खून आये और उसे पाकी का वक्त मालूम हो। अगर एक दिन से कम में खून बन्द हो तो उसे पाकी नहीं माना जाएगा। या औरत कोइ ऐसी चीज देखे जैसे कि औरत की आदत के अनुसार हैज का खून बन्द होना या सफेद पानी निकलना जो औरत की आदत के अनुसार हैज़ के खत्म होने पर निकलता है।

पाँचवीं हालत: हैज़ में सूखापन

औरत अगर सूखापन के साथ स्राव देखती है तो ये स्राव अगर पाकी से पहले हैज के दौरान हो तो ये हैज होगा और अगर ये पाकी के बाद हो तो हैज नहीं होगा।

हायज़ा के लिए हुक्म

1. पहला हुक्म: हैज के दौरान फर्ज और नफिल हर तरह की नमाज़ पढ़ना मना है और न ही उस पर वाजिब है अगर वो एक रकअत नमाज़ पाकी में पा ले पहले या आखिर में तो उस सूरत में उस पर नमाज़ वाजिब हो जाएगी, चाहे वो अव्वल वक्त पाई हो या आखिर वक्त। अव्वल वक्त की मिसाल ये है कि किसी औरत को सूरज डूबने की एक रकत पढ़ने के वक्त की मुद्त के बाद हैज आ जाए तो उस पर पाकी के बाद मगरिब की कज़ा नमाज़ वाजिब हो जाएगी। इस वजह से कि वो हैज होने से पहले एक रकअत नमाज़ पढ़ने का समय पाई थी। और आखिरी वक्त की मिसाल ये है कि कोई औरत सूरज उगने से पहले एक रकत नमाज़ पढ़ने तक पाक हो जाए तो पाकी हासिल करने के बाद नमाज़े फजर की कज़ा वाजिब हो जाएगी। क्यों कि उसने फज़्र नमाज़ का इतना वक्त पाया है जिस में एक रकअत अदा हो जाए। जहां तक अल्लाह का जिक्र करने, तस्बीह वगैरह पढ़ने, खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहने, किताब या हदीस पढ़ने और दुआ पढ़ने और उन पर अमीन कहने और कुरआन सुन्ने की बात है तो उन में से कोई भी काम हराम नहीं है। हैज के वक्त बगैर छुए कुरआन की जबानी तिलावत करना जायज है। बल्कि जब उसे छूने की जरूरत पड़े, जैसे कुरआन के

पेज पलटने के लिए, गलतियों को सही करने के लिए, या दूसरी चीजों के लिए तो किसी ओट से छूने में कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर दोनों हाथों में दास्ताने हो या कोई दूसरी ओट हो।

2. दूसरा हुक्म: हायजा औरत पर फर्ज और नफिल दोनों तरह के रोजे हराम हैं। बल्कि उस पर फर्ज रोजों की कजा वाजिब है। अगर औरत रोजे से है और उस दौरान उसे हैज आ जाए तो उस का रोजा खत्म हो जाएगा, चाहे ये सूरज डूबने से कुछ पहले ही क्यों न हैज आये और अगर औरत को सूरज डूबने से पहले हैज का एहसास हो पर हैज सूरज डूबने के बाद जारी हो तो उसका रोजा मुकम्मल होगा। अगर सुबह फज्र के समय औरत हैज से है तो उस दिन का रोजा सही नहीं होगा चाहे वो सुबह फज्र के थोड़ी देर बाद ही पाक क्यों न हो जाए।

3. तीसरा हुक्म: हायजा औरत के लिए बेतुल्लाह का तवाफ चाहे वो फर्ज हो या नफिल हराम है। जहां तक दूसरे अफआले हज और उमरा का मसला है, जैसे सफा व मरवा के दौरान सयी करना, मिना में रात गुजारना वगैरह तो उन सभी कामों को अंजाम देना हायजा के लिए हराम नहीं है। इस बुनियाद पर अगर कोई औरत पाकी की हालत में खाना काबा का तवाफ शुरू करती है और तवाफ के फौरन बाद या सयी के दौरान हैज आ जाए तो उस में कोई हर्ज नहीं है।

4. चौथा हुक्म: मस्जिद में बैठना: हायजा के लिए मस्जिद में बैठना हराम है।

5. पाँचवां हुक्म: हम बिस्तरी शौहर पर हराम है कि वो अपनी बीवी से जिमा करे और औरत पर भी हराम है कि वो अपने शौहर को इस का मौका दे। जिमा के अलावा मर्दों के लिए ऐसे कामों को जायज़ किया गया है, जिससे उसका शहवत खतम हो सके जैसे बोसा लेना, गले लगाना वगैरह।

6. छठा हुक्म: अपनी बीवी को हैज की हालत में तलाक देना शौहर पर हराम है। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है और हराम काम करता है। ऐसी सूरत में जरूरी है कि उसको (अक्द) शादी में लौटा ले और उस के पाक होने तक बाकी रखे और चाहे तो फिर तलाक दे। बल्कि बेहतर तो ये है कि दूसरी बार हैज आने का इंतजार करे और उससे पाक होने पर चाहे तो तलाक दे या अपनी शादी में बाकी रखे

7. सातवां हुक्म: गुस्ल का वाजिब होना। हायज़ा औरत पर वाजिब है कि हैज से पाक हो जाए तो वो पूरे बदन की पाकी के लिए गुस्ल करे। सिर के बाल खोलना वाजिब नहीं है। यह तभी करें जब बाल मजबूती से बाँधे हों और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचन जाए अगर औरत नमाज़ के वक्त के दौरान पाक हो तो उसे गुस्ल करने में जल्दी करनी चाहिए ताकि वो नमाज़ को वक्त पर अदा कर सके। अगर औरत सफर में हो और उसके पास पानी न हो या पानी हो पर उसे इस्तेमाल करने की सूरत न हो या वो बीमार हो और पानी के इस्तेमाल से नुकसान का

खतरा हो, ऐसी सूरत में वो गुस्ल के बदले तयम्मुम करेगी और फिर जब वो ठीक हो जाए तो गुस्ल करेगी।

इस्तेहाजा और उस का हुक्म

इसतेहाजा उस खून को कहते हैं जो हमेशा जारी रहता है कभी बन्द नहीं होता है। या बहुत कम दिनों यानी महीने में दो तीन दिनों के लिए रुकता हो और एक दूसरी बात ये है कि जो खून पंद्रह दिनों से ज़्यादा आता है उसे इसतेहाजा कहते हैं मगर ये कि किसी औरत को पंद्रह दिन से ज़्यादा खून आता हो।

मुस्तहाजा की तीन हालत है.

पहली हालत: इसतेहाजा से पहले औरत को हैज की मुद्त मालूम हो तो ऐसी सूरत में वो पहले हैज की मालूम मुद्त में उस पर हैज के हुक्म साबित होंगे और उस के बाद इसतेहाजा का होगा और उस पर मुस्तहाजा के हुक्म होंगे। मिसाल के तौर पर औरत को हर महीने के शुरू में छह दिनों तक हैज आता था, फिर उसे इसतेहाजा तारी होता हो और उसे बराबर खून आने लगे तो उस के लिए हर महीने शुरू के छह दिन हैज के होंगे और उसके बाद जो खून आयेगा वो इसतेहाजा का होगा, इस बुनियाद पर जिस हायजा को हैज की मुद्त मालूम होगी उतने समय वह बैठेगी फिर गुस्ल करके नमाज़ पढ़े और उस वक्त गिरने वाले खून की परवा न करे।

दूसरी हालत: इसतेहाजा से पहले औरत को हैज की मुद्त मालूम न हो, यानी जब से उसे हैज (माहवारी) का

खून आया हो तभी से उसे इसतेहाजा का खून भी आया हो तो ऐसी सूरत में वो हैज और इसतेहाजा के बीच फर्क करेगी। उस का हैज काले रंग का या गाढ़ा या बदबूदार होगा तो उस पर हैज का हुक्म साबित होता है और उस के बाद जो खून आयेगा वो इसतेहाजा का खून होगा। इसकी मिसाल ये है कि औरत ने पहली बार जो खून देखा वो ऐसे जारी रहता है। बल्कि वो दोनो खून के बीच फर्क कर सकती है जैसे दस दिन वह काला खून देखती है और महीने के बाकी दिनों में सुर्ख खून देखती है या दस दिन का खून गाढ़ा होता है और महीने के बाकी दिनों का खून पतला होता है या दस दिनों में हैज की बदबू आती है और बाकी महीने में बदबू नहीं आती है तो पहली मिसाल में काला खून वाला, दूसरी मिसाल में गाढ़ा खून और तीसरी मिसाल में बदबूदार खून हैज का होगा और उस के बाद का इसतेहाजा का खून होगा।

तीसरी हालत: औरत को न तो हैज की मुद्त मालूम हो और न ही वह हैज और इसतेहाजा के बीच फर्क कर पाती हो यानी जब से उस ने खून देखा तभी से खून जारी हो और एक ही जैसा या अलग अलग तरह का हो और शायद वह हैज हो ही न। तो औरत इस बात को माने कि हैज की अवधि हर महीने के छह सात दिन होगी। जब से खून दिखाई दिया जब से हैज की शुरुआत मानी जाएगी इस के अलावा बाकी दिनों का खून इसतेहाजा होगा।

इस्तेहाजा का हुक्म

मुस्तहाजा के लिए वही हुक्म है जो पाकी के हैं। मुस्तहाजा

और पाक औरत के बीच कोई फर्क नहीं है सिवाय उस दौरान आने वाली परेशानियों के।

1. मुस्तहाजा के लिये हर नमाज़ के लिए वुजू जरूरी है।
2. जब वह वुजू करना चाहे तो खून देख लेगी और शर्मगाह पर पट्टी बांधेगी ताकि खून रोका जा सके।

नफास और उस का हुक्म

नफास उस खून को कहते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद या दो तीन दिन पहले दर्द के साथ जारी होता है। जब नफास का खून खत्म हो जाए तो औरत पाक हो जाएगी। अगर खून चालीस दिनों तक भी आये तो वो चालीस दिनों बाद गुस्ल कर लेगी।

इस लिए की नफास की अधिक से अधिक मुद्त चालीस दिनों की है। अगर इस के बाद जारी खून हैज हो तो उससे पाक होने का इंतजार करे और फिर गुसल करेगी।

नफास गर्भ के बाद ही होगा जिस में इन्सान का ढाचा बन चुका हो। अगर वो पैदाइश वाजेह न हो तो वो नफास का खून नहीं होगा बल्कि वो रग का खून होगा और उस का हुक्म मुस्तहजाह का होगा और गर्भ ठहरने के दिनों में इन्सान की तखलीक अस्सी दिन में वाजेह होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नौवे दिनों में।

नफास के भी वही हुक्म हैं जो हैज के होते हैं जिन को उपर बयान किया गया है:

हैज और हमल (गर्भ) को रोकने वाली चीजों का इस्तेमाल

औरत के लिए हैज को रोकने वाली दवाइयों का इस्तेमाल दो शर्तों के साथ जायज़ है।

1. पहली शर्त: इस से औरत को नुकसान न पहुंचे अगर हैज रोकने वाली दवा इस्तेमाल करने की सूरत में औरत को नुकसान होता हो तो उस का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं
2. दूसरी शर्त: अगर उस का सम्बन्ध शौहर से है तो शौहर की इजाज़त से किया जाए।

हैज जारी करने वाली दवाइयों के इस्तेमाल की भी दो शर्तें हैं

1. शौहर की इजाज़त
2. इस का मकसद वाजिब इबादतों को छोड़ना न हो, जैसे रोजे छोड़ना या नमाज़ छोड़ देना वगैरह।

हमल रोकने वाली चीजों के इस्तेमाल की भी दो शर्तें हैं:

1. इस के इस्तेमाल से हमल ठहरने की हमेशा के लिए रोक दिया जाए तो यह जायज़ नहीं।
2. इस के इस्तेमाल से कुछ वक्त के लिए हमल ठहरने को रोकना, मिसाल के तौर पर अगर औरत को जल्दी जल्दी गर्भ ठहर जाता हो और उससे वह कमजोर हो रही हो जिस की वजह से वह अपने हमल को दो साल या उस जैसी मुद्दत तक रोकना चाहती हो तो वो जायज़ है। बशर्ते कि उसका शौहर इजाज़त दे दे और उससे औरत को कोई नुकसान न होता हो।